

नियम 16 : स्थगन की शक्ति

सभी स्थगन सामान्यतः संबंधित न्यायपीठ के समक्ष मांगे जाएंगे और असाधारण परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार, यदि अपील अधिकरण द्वारा चैंबर में ऐसा निदेश दिया जाता है, किसी भी समय किसी भी मामले को स्थगित कर सकता है और उसे अपील अधिकरणके समक्ष चैंबर में रख सकता है।
